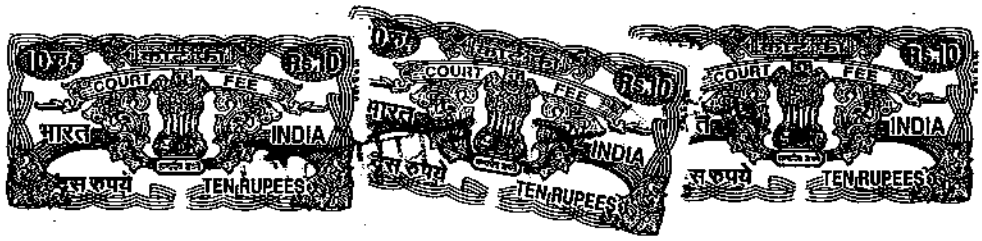

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग-2114-I-16

श्री ...... द्वारा आज दि. 1-7-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-7-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जय सिंह राजपूत पुत्र श्री निर्भय सिंह राजपूत , निवासी रमपुरा जागीर तहसील शमशाबाद जनपद पंचायत नटेरन विकासखण्ड नटेरन जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. हरमोहन पुत्र अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रमपुरा तहसील शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नटेरन जिला विदिशा म.प्र.
3. ग्राम पंचायत रमपुरा जागीर जनपद पंचायत नटैरन द्वारा सचिव जिला विदिशा म.प्र
4. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

म.प्र. पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 सहपठित नियम 36 (4) अपील एवं रिवीजन रूल्स 1999

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तत है :–

1. यहकि, ग्राम पंचायत रमपुरा जागीर जनपद पंचायत नटेरन में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति होना थी इस बाबत समस्त ग्राम वासियों एवं पंचायत को सूचना दी गई। सूचना उपरांत आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने अपने दस्तावेज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2117–एक/16 जिला –विदिशा

क्रमांक तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.7.16	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित । उन्हें म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 52 के आवेदन पर तथा निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया निगरानी सुनवाई योग्य है। संहिता की धारा 52 के आवेदन में वर्णित तथ्यों एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक निगरानी/2015–16 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 15–6–16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आयुक्त के समक्ष हरमोहन व्दारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन–योग्य अथवा नहीं है, पर निर्णय नहीं लिया गया और न ही उनके व्दारा प्रकरण पंजीबद्व किया गया है जिसके कारण ऐसा आभाष होता है कि स्थगन आवेदन मान्य करने का उन्होंने पूर्व से ही मन बना लिया है। 3– आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर विदिशा के आदेश दिनांक 7–6–16 के पालन में आवेदक ग्राम पंचायत रमपुरा जागीर के रोजगार सहायक पद पर उपस्थित हो चुका है यदि अपर आयुक्त भोपल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 15–6–16 का कियान्वयन होता है	

क्रमशः

तो आवेदक को नियुक्ति से बंचित होना पड़ेगा एंव उसे अपूर्तनीय क्षति होगी। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति आवेदक के पक्ष में प्रतीत होने से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल के अपॅजीबद्व प्रकरण कमांक निल/2015–16 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15–6–2016 का कियान्वयन स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष न रहने से निगरानी इसी–स्तर पर समाप्त करते हुये अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल को निर्देश दिये जाते हैं कि वह निगरानी विधिवत् पंजीबद्व करके प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

सदस्य